न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, नवादा।

आदेश

जिले में ठण्ड का मौसम और कम तापमान अभी भी जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

अतः इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 106/विधि दिनांक 12.01.2024 के क्रम में **मैं, आशुतोष कुमार वर्मा, भा0प्र0से0, जिला दण्डाधिकारी, नवादा** दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा–144 के तहत नवादा जिला के सभी निजी/सरकारी विद्यालयों (प्री–स्कूल/आँगनबाड़ी केन्द्रों सहित) में वर्ग–8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर लगाये गये प्रतिबंध को दिनांक 18.01.2024 तक विस्तारित करता हूँ। वर्ग–9 से उपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियाँ पूर्व के आदेश के अनुरूप पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे के पश्चात् प्रतिबंधित रहेंगी। मिशन दक्ष तथा बोर्ड परीक्षा हेतु पर्याप्त सावधनी के साथ विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा।

उपर्युक्त आदेश दिनांक 18.01.2024 तक प्रभावी रहेगा।

यह आदेश दिनांक 16.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से निर्गत किया गया।

ह0/–

(आशुतोष कुमार वर्मा)
जिला दण्डाधिकारी,
नवादा।

ज्ञापांक– 117 /विधि, दिनांक– 16-01-2024

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, नवादा/अनुमण्डल पदाधिकारी, नवादा सदर एवं रजौली/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नवादा सदर, पकरीबरावाँ एवं रजौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, नवादा जिला/सभी अंचल अधिकारी, नवादा जिला/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नवादा जिला/सभी थानाध्यक्ष/ओ0पी0 अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,(ICDS) नवादा को सूचनार्थ एवं निदेशित है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया/स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करायेंगे।

जिला दण्डाधिकारी,
नवादा।

Scanned with CamScanner